2014 का विधेयक संख्यांक 189

[दि मोटर वेहिकल्स (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014

मोटर यान अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

1988 का 59

नई धारा 2क का अंतःस्थापन ।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

ई-गाड़ी और ई-रिक्शा ।

"2क. (1) धारा 7 की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 9 की उपधारा (10) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध ई-गाड़ी और ई-रिक्शा को लागू होंगे ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "ई-गाड़ी या ई-रिक्शा" से, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए, यथास्थिति, माल या यात्रियों को वहन करने हेतु तीन पहिए वाला, 4000 वाट्स से अनधिक की शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी विद्युत यान अभिप्रेत है, जो ऐसे विनिर्देशों के अनुसार विनिर्मित, सन्निर्मित या अंगीकृत, उपस्करों से युक्त होगा जो इस निमित्त विहित किए जाएं ।"।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु इस उपधारा की कोई बात, ई-गाड़ी या ई-रिक्शा को लागू नहीं होगी ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम में धारा 9 की उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(10) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ई-गाड़ी या ई-रिक्शा को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, जारी की जाएगी ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 27 में,–

(i) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित किए गए खंड (कक) से पहले, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) धारा 2क की उपधारा (2) के अधीन ई-गाड़ी और ई-रिक्शा से संबंधित विनिर्देश ;"।

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(चच) ऐसी रीति और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए चालन-अनुज्ञप्ति, धारा 9 की उपधारा (10) के अधीन जारी की जा सकेगी ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटर यान अधिनियम, 1988 (एम.वी. ऐक्ट) के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जा सकती है जब तक कि उसने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए चालन-अनुज्ञप्ति धारित न की हो । ई-रिक्शे और ई-गाड़ियों को तीन पहिये वाले और 4,000 वाट तक की सीमित शक्ति वाले परिभाषित किया गया है । इसके अतिरिक्त, गति और आयाम के लिए विनिर्देश को ऐसे नियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है, जो एम.वी. ऐक्ट के अधीन बनाए जा सकते हैं । इन यानों को ऐसे चालकों द्वारा चलाया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा, जो परीक्षणों के माध्यम से ई-रिक्शों और ई-गाड़ियों को चलाने में पात्र पाए जाते हैं ।

2. चूंकि, अधिकतर ई-रिक्शे और ई-गाड़ियों के चालकों के पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं है, अतः, उपबंध का विस्तार, उनको एक वर्ष के लिए ई-रिक्शे और ई-गाड़ियों के प्रचालन से विवर्जित करेगा । इस कठिनाई को दूर करने और ई-रिक्शों तथा ई-गाड़ियों के चालन को सुकर करने के लिए केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उपधारा (1) का संशोधन करना प्रस्तावित करती है, जो केवल ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के चालकों को शिथिलता देगा । इसके अतिरिक्त, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की परिभाषा का भी, उक्त अधिनियम के अधीन सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है ।

3. तदनुसार, ई-गाड़ियों और ई-रिक्शों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्तियों को प्रदान करने में शिथिलीकरण के लिए धारा 7 की उपधारा (1) में एक परंतुक सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है । प्रस्ताव, तीन पहिये वाले और 4000 वाट से अनधिक की कुल शक्ति वाले परिवहन यान को चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति को जारी करने के लिए शर्तों को शिथिल करेगा ।

4. धारा 2क की उपधारा (1) का, एम.वी. ऐक्ट की धारा 2 के पश्चात् अंतःस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है । इसका उद्देश्य, एम.वी. ऐक्ट की परिधि के अधीन ई-गाड़ी और ई-रिक्शा को लाना है । यह ऐसे असंख्य लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, जिन्होंने हाथ से रिक्शों को खींचने के स्थान पर विद्युत शक्ति से युक्त तीन पहिया यानों में उन्नत किया है ।

5. एम.वी. ऐक्ट की धारा 9 की उपधारा (10) का ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी शर्तें, जिसके अधीन रहते हुए, ई-रिक्शा या ई-गाड़ी को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी, विहित करने के लिए अंतःस्थापन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है ।

6. विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
12 दिसंबर, 2014

नितिन जयराम गडकरी

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, केंद्रीय सरकार को ई-गाड़ियों और ई-रिक्शों के विनिर्माण, सन्निर्माण, अंगीकरण, उपस्कर और अनुरक्षण से संबंधित विनिर्देशों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 4, केंद्रीय सरकार को, ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी शर्तें, जिसके अधीन रहते हुए, ई-गाड़ियों और ई-रिक्शों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति जारी की जानी है, का उपबंध करते हुए नियम बनाने के लिए, सशक्त करता है ।

3. ऐसे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषयों से संबंधित हैं, जिनके लिए विधेयक में ही कोई उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * * * * *

7. (1) किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम एक वर्ष तक चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं की है ।

कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए जाने पर निर्बंधन ।

* * * * * * *

27. केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित की बाबत नियम बना सकेगी--

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—3621LS(CRC)—12-12-2014.